न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 113/2021
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 06.05.24

1. बाबूलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र हंडू जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई(भरतपुर) हाल निवासी सुभाष नगर गली नं. 23 कपिल नगर अजमेर।

वादीगण

बनाम

1. बलराम पुत्र भैरों जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. हरसहाय पुत्र भैरों जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मक्खन पुत्र नारायण (मृतक) जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. गोविन्द पुत्र मक्खन जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. विजय पुत्र मक्खन जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. मल्ला पुत्री मक्खन जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
8. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह एड0 वादीगण

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमा फरीकेन के सभी पक्षकारान बालिग व स्वस्थ्य चित्त हैं। तथा दावा लडने के योग्य हैं।
2. यह कि सैटलमेंट सं. 2028 [illegible] के आराजी [illegible] नंबरान 75 रकबा [illegible] बीघा 19 बिस्वा के 1/3 [illegible] 236 रकबा 13 बी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

विस्वा में से रकबा 5 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई के वादी के पिता हंडू पुत्र कलुआ खातेदार व काबिज हैं। उनकी मृत्यु सं. 2010 में हो गई उस समय वादी की उम्र मात्र 6 माह थी। तथा नाबालिग था। वादी की माता सुगिनी देवी वादी को अपने साथ लेकर अजमेर में छोटेलाल के यहां खानदाज हो गई वादी की माता सुगिनी की मृत्यु भी 1977 में हो चुकी है। इस तरह उक्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है।

3. यह कि हाल आराजी खसरा न. 749 रकबा 0.40, 750 रकबा 0.48, 751 रकबा 0.19, 752 रकबा 0.19 तथा खसरा नंबर 322 रकबा 0.56, 323 रकबा 0.01, 324 रकबा 0.56 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई में स्थित है। जो कि विवादित है। उक्त आराजी में खसरा नंबर 322 रकबा 0.56, 323 रकबा 0.01, 324 रकबा 0.52 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई के 1/3 हिस्से पर तथा खसरा नंबर 749 रकबा 0.40, 750 रकबा 0.48, 751 रकबा 0.19, 752 रकबा 0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई में से 5 बीघा 5 बिस्वा पर वादी खातेदार की तरह काबिज काश्त चला आ रहा है। सत्यप्रति जमाबंदी हाल वादपत्र के साथ संलग्न है।

4. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 0.56 सैटलमेंट सं. 2028 द्वारा बनाए गए खसरा नंबर 181 से व हाल खसरा नंबर 323, 324 खसरा नंबर 182 से बने हैं। तथा हाल खसरा नंबर 749, 750, 751, 752 वाके ग्राम बरवारा साबिक खसरा नंबर यानि कि सैटलमेंट सं. 2028 के खसरा नंबर 436, 437, 438 से बने हैं तथा सैटलमेंट सं. 2028 के खसरा नंबर 181, 182, 436, 437, 438 सैटलमेंट सं. 2028 से पूर्व के खसरा नंबर 75, 235, 236 से बने हैं। उक्त आराजी में खसरा नंबर 235 मि. का रकबा 1 बीघा मिलाया गया।

5. यह कि विवादित आराजी की वर्णित चरण सं. 3 वादपत्र की आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है।

6. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 3 वादपत्र की आराजी वादी के मृतक पिता हंडू पुत्र कलुआ [illegible] खातेदा[illegible] उनकी मृत्यु सं. 2010 में हो गई उस समय वादी नाबालि[illegible] मात्र 6 माह की थी। वादी की माता वादी को लेकर अजमेर के छोटेलाल के यहां खानदाज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
न... (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

गई। उक्त विवादित आराजी वादी के पिता जो कि अनुसूचित जाति का था की खातेदारी में थी जो सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम कानूनन नहीं जा सकती। इसके अलावा वादी के पिता के सं. 2010 में मरने के बाद जो कि एक नाबालिग था की उक्त आराजी किसी भी व्यक्ति के नाम खातेदारी में नहीं जा सकती।

7. यह कि राजस्व रिकॉर्ड में हाल में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के नाम उक्त आराजी वर्णित चरण सं. 3 वादपत्र की आराजी खसरा नंबर 749, 750, 751, 752 वाकेग्राम बरवारा पर प्रतिवादी सं. 3 के नाम तथा विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 3 वादपत्र की आराजी खसरा नंबर 322, 323, 324 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी चले आ रहे हैं। जिससे वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः वादी विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 3 वादपत्र की आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 0.56, 323 रकबा 0.01, 324 रकबा 0.56 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई के 1/3 हिस्सा पर तथा आरजी खसरा नंबर 749 रकबा 0.40, 750 रकबा 0.48, 751 रकबा 0.19, 752 रकबा 0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई पर अपने आप को कच्चा 5 बीघा 5 बिस्वा की 0.85 हैक्टेयर पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा इंतकाल नंबर 45 व 54 संलग्न जमाबंदी संवत 2035–38 वाके ग्रम बरवारा तथा रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 12.08.81 को अपने हक व हिस्से तक वातिल व बेअसर घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 ने वमुकाम बरवारा तहसील नदबई पर वादी को दिनांक 21.12.2010 को धमकी दी गई कि वादी को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करेंगे तथा विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वमुन्तकिल करेंगे। अगर प्रतिवादीगण द्वारा दी गई धमकी में कामयबाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी।

9. यह है कि वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जबावदावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर एवं वादी एवं प्रतिवादी के साक्ष्य लिए गए।

10. यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के उभयपक्ष द्वारा के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों के आधार पर इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.14 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील वादी बाबूलाल पुत्र हंडू जाति जाटव निवासी बरबारा द्वारा हाल आबाद सुभाष नगर गली नंबर 23 कपिल नगर अजमेर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में पेश की गई । माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.14 को अपास्त किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय में दिए गए आब्जर्वेशन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए गए कि वे प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को तनकीवार निर्णय पारित करने के आदेश पारित किए गए। उक्त माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2018 के विरूद्ध अपील प्रतिवादी बलराम पुत्र भैरों जाति जाट निवासी बरबारा वगै0 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की गई।

11. यह कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 12.09.2018 को अपास्त कर विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि उभय पक्षों को साक्ष्य का अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करे। तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में उभय पक्षों का अवसर देते हुए पुनः निर्णय तनकीवार पारित किया जावे तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया।

12. यह है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 01.10.2021 के निर्णय के अनुसार पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान तलब किए गए तथा उभय पक्षकारान के जबाव एवं साक्ष्य लिए गए। वादी एवं प्रतिवादी के जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में जो तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया वादी विवादित आरा[illegible] वादपत्र खसरा नंबर 322 रकबा 0.56, 323 र[illegible] ग्राम बरवारा तहसील नदबई के 1/3 [illegible] 748 रकबा 0.40, 750

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

रकबा 0.48, 751 रकबा 0.19, 752 रकबा 0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई में से कच्चा रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा यानि 0.84 हैक्टेयर का वादी के पुश्तैनी होने से अपने आप को उक्त आराजी पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने तथा अपने हक व हिस्से तक रजिस्टर्ड वयनामा 12.08.1981 को वातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के वर्तमान में चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी हैं।

जिम्मे वादी

2. आया वादी के अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से व नाबालिग होने के कारण वादी के पिता हंडू संवत 2010 में मरने के बाद विवादित आराजी प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम के खातेदारी में नहीं की जा सकती।

जिम्मे वादी

3. आया विनायमुखासमत दावा प्रतिवादी संख्या 1, 3 द्वारा वमुकाब बरवारा तहसील नदबई पर वादी को ऐलानियां धमकी दिए जाने से पैदा हुए।

जिम्मे वादी

4. आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

5. आया विवादित आराजी सं. 2012 के टीनेन्ट से प्रतिवादीगण द्वारा रजि0 वयनामा से खरीदने से खातेदारी प्राप्त हुई है।

जिम्मे प्रतिवादी

6. आया दावा दायरी करने के समय वादी का कोई कब्जा ना होने से दावा वादी काबिल खारिजी के है।

जिम्मे प्रतिवादी

7. आया वादी हंडू का पुत्र है (संशोधित तनकी) – जिम्मे वादी

7.अ आया वादी अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है। (संशोधित तनकी)

जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

8. आया वादी की कब्जा वापिसी की रिलीफ ना होने से दावा वादी काबिल खारिजी के है। जिम्मे प्रतिवादी

9. आया दावा वादी सिविल क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। जिम्मे प्रतिवादी

10. आयाप्रतिवादीगण, वादी से खर्चा 2000/– रूपए प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई तथा वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा उक्त वाद अपने आप को हंडू पुत्र कलुआ का पुत्र बताया गया है जिसकी मृत्यु संवत 2010 में कारित होना बताई गई है। उस समय वादी की उम्र मात्र 6 माह होने का दावा में अंकित किया है। उसके बाद वादी की माता वादी को लेकर अजमेर के छोटेलाल के यहां खानिन्दाज होना वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र में बताया गया है। साथ ही दावे में यह भी बताया है कि उक्त विवादित आराजी अनुसूचित जाति वर्ग की है। जिसे सवर्ण व्यक्तियों के नाम नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल संख्या 45 व 54 से जो खातेदारी संवत 2035–38 में मुताबिक वयनामा दिनांक 12.08.1981 दर्ज की गई है वह वादी के हिस्से तक वातिल व बेअसर होकर वादी को खातेदारी काश्तकारी के इन्द्राज दर्ज कराने हेतु उक्त दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने खातेदारी इन्द्राजातों को रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर अपने आप को रिकॉर्ड खातेदारी हैसियत से काबिजकाश्त होना अपने जबावदावा में अंकित किया है तथा उक्त आराजीयात कभी भी हंडू के नाम न होना व वादी को अजमेर के छोटेलाल का पुत्र बताकर अपना जबावदावा प्रतिवादी की ओर से पेश किया है तथा दावा को खारिज करने की प्रार्थना की गई है। उक्त दावा एवं जबावदावा के आधार पर कुल 11 तनकीयात मय संशोधित तनकी कारित की गई हैं जिसमें तनकी संख्या 1 लगा0 4 एवं तनकी संख्या 7 जिम्मे वादी की कारित की गई हैं एवं तनकी संख्या 5,6,7, 7 (ए), 9, 10 जिम्मे प्रतिवादी बनाई गई हैं जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादी विवादित आराजी वाकेत खसरा नं. ... खसरा नंबर 322 रकबा 0.56, 323 रकबा 0.01, 324 रकबा 0.56 वाके ग्राम बरवारा

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

तहसील नदबई के 1/3 हिस्से तथा खसरा नंबर 748 रकबा 0.40, 750 रकबा 0.48, 751 रकबा 0.19, 752 रकबा 0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई में से कच्चा रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा यानि 0.84 हैक्टेयर का वादी के पुश्तैनी होने से अपने आप को उक्त आराजी पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने तथा अपने हक व हिस्से तक रजिस्टर्ड बयनामा 12.08.1981 को वातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के वर्तमान में चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी हैं। :-

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादपत्र में दर्ज खसरा नंबर 322, 323, 324 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई के 1/3 हिस्से तथा खसरा नंबर 748, 750, 751, 752 रकबा 0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई में से कच्चा रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा यानि की 0.84 हैक्टेयर वादी की पुश्तैनी होने से अपने आप को विवादित आराजीयात पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने तथा अपने हक हिस्सा तक रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12.08.1981 को वातिल व बेअसर घोषित करा पाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के नाम खातेदारी चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने हेतु उक्त तनकीयात कायम की गई हैं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेजात पेश किए गए हैं जिसमें नकल जमाबंदी संवत 2006–09 पेश की गई है जिसके विगत खसरा नंबर 75, 235, 236 पर भंवरसिंह पुत्र नकटा जाति जाट निवासी शाहपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त एकमात्र जमाबंदी संवत 2006–09 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त आराजी हंडू के पिता कलुआ के नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उक्त आराजी को वादी पैतृक संपत्ति साबित करने में असफल रहा है। तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय जमाबंदी संवत 2009–12 कायम की गई थी और उक्त जमाबंदी ही कानून अवलोकनार्थ है। संवत 2009 से पूर्व रिकॉर्ड को जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट ... हो चुका है, दावा के निर्णय में कोई भूमिका नहीं रखता है। प्रतिवादी ... नाम इन्द्राज मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

बयनामा दिनांक 12.08.1981 कारित होना वादी द्वारा स्वयं अपने दावा में स्वीकार किया है इसलिए प्रतिवादीगण कानून की दृष्टि से रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी भंवरसिंह पुत्र नकटा जाति जाट निवासी बरवारा के नाम दर्ज है जिसकी जाति जाट है जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आती है। प्रतिवादीगण की जाति जाट है इसलिए वादी अधिवक्ता का यह कहना है कि उक्त आराजी अनुसूचित जाति व्यक्ति के नाम दर्ज रही है जो कि गलत है। वादी इसे किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है अतः मुताबिक बयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 के नाम दर्ज इन्द्राजात सही होना साबित है। अतः उक्त रिकॉर्डेड खातेदार को इन्द्राजातों को कलमजन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त तनकी वादी साबित नहीं कर पाए हैं इसलिए उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

2. आया वादी के अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से व नाबालिग होने के कारण वादी के पिता हंडू संवत 2010 में मरने के बाद विवादित आराजी प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम के खातेदारी में नहीं की जा सकती। :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का ही था वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन में रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2006–09 में उक्त आराजी भंवरसिंह पुत्र नकटा के नाम दर्ज है जो जाति जाट है जो सवर्ण जाति के अन्तर्गत आती है इसलिए उक्त आराजी पर कभी भी हण्डू या उसके पिता कलुआ के नाम दर्ज नहीं रही है। इसलिए उक्त बयनामा जाट जाति द्वारा जाट व्यक्ति के पक्ष में किया गया है इसलिए उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया वादी असफल रहे हैं अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

3. आया विनायमुखासमत दावा प्रतिवादी संख्या 1, 3 द्वारा बमुकाब बरवारा तहसील नदबई पर वादी को एलानिया धमकी दिए जाने से पैदा हुए।:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 ने वादी को धमकी दिए जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

विनायमुकाम होना व दावा पेश करने के कारण तनकी बनाई गई है जिसे रिकॉर्ड दावा अवलोकन से वादी द्वारा अपनी किसी भी मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है कि वह ग्राम बरबारा में निवास करता है और प्रतिवादी 1 लगा0 3 द्वारा वादी को कभी धमकी दी गई हो। गवाहन जो वादी द्वारा पीडब्लू 1 स्वयं बाबूलाल का है तथा पीडब्लू 2 वादी की पत्नी बसंती देवी के शपथ पत्र पेश किए गए हैं इसलिए इनके अलावा कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए गए हैं जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 द्वारा वादी को कोई धमकी दी गई हो। अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

4. आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था उक्त तनकी जो वादी द्वारा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किए जाने हेतु बनाई गई है। उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी द्वारा किसीभी प्रकार का मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति वादी को होती हो अतः उक्त तनकी भी वादी साबित न कर सकने के कारण वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के हक में सिद्ध की जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद नहीं किया जा सकता।

5. आया विवादित आराजी सं. 2012 के टीनेन्ट से प्रतिवादीगण द्वारा रजि0 वयनामा से खरीदने से खातेदारी प्राप्त हुई है। :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को था। जिसमें टीनेन्ट खातेदार से जरिए रजिस्टर्ड वयनामा खातेदारी प्राप्त की गई है। पत्रावली के अवलोकन से तथा वादी अधिवक्ता की लिखित बहस के अवलोकन से साबित है कि उक्त आराजी जरिए रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की गई है तथा नकशा जमाबंदी [illegible]006–09 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त विवादित आराजी [illegible]सिंह पुत्र नकटा जाति जाट के नाम दर्ज है। इसी प्रकार उक्त रिकॉर्ड व वादी द्वारा अपने दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

में बयनामा होना स्वीकार करने से यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण के जो इन्द्राज खातेदारी मुताबिक बयनामा प्राप्त हुए हैं, मुताबिक बयनामा दिनांक 12.08.81 व इंतकाल संख्या 43 व 54 जो कि वादी के दावा की मद संख्या 7 की लाईन संख्या 12 व 13 पर अंकित है, से साबित होता है कि प्रतिवादी के नाम जो इन्द्राजात खातेदारी दर्ज है जो मुताबिक बयनामा दर्ज की गई है जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने गवाहन पीडब्लू 1 स्वयं बलराम तथा स्वतंत्र गवाह सुगडसिंह व उम्मेद जो निवासी बरबारा के पेश किए गए हैं जिन्होंने दौरान जिरह प्रतिवादीगण के जबाव दावा को साबित किया है एवं दौरान जिरह यह स्पष्ट बताया है कि उक्त आराजी को शुरू से ही प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की गई है । इस प्रकार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एवं वादी के दावा में स्वीकृति से तनकी संख्या 5 प्रतिवादी के हक में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

6. आया दावा दायरी करने के समय वादी का कोई कब्जा ना होने से दावा वादी काबिल खारिजी के है। :—

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण का था जिसमें वादी का कब्जा न होने से दावा काबिल खारिजी के है। वादी द्वारा आज भी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से या स्वतंत्र गवाह से यह साबित नहीं कर पाए हैं कि उक्त विवादित आराजी पर कभी भी वादी व उनके पिता हण्डू द्वारा काश्त की गई है। प्रतिवादी ने कब्जे के समर्थन में गवाहन पीडब्लू 2 सुगडसिंह, पीडब्लू 3 उम्मेद के शपथ पत्र पेश किए गए हैं जिन्होंने उक्त विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी का वक्त बयनामा से ही कब्जाकाश्त बताया है एवं वादी बाबूलाल व उसके पिता हण्डू का उक्त विवादित आराजीयात पर कभी भी काश्त नहीं होना बताया है। लिहाजा उक्त तनकी प्रतिवादी के हक व वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

7. आया वादी हंडू का पुत्र है (संशोधित तनकी) —जिम्मेवादी

7.अ आया वादी अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है (संशोधित तनकी)

06/5/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त तनकी 7 व 7 अ जिम्मेवादी बनाई गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी बाबूलाल हण्डू का पुत्र था या छोटेलाल का था। चूंकि यहां वादी बाबूलाल है जो कि अपने आप को हण्डू का पुत्र बताकर आया है। परन्तु मात्र कह देने से ऐसा माना नहीं जा सकता। एवं तनकी 7 अ वादी बाबूलाल अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है। उक्त दोनों तनकी वादी व प्रतिवादी के जिम्मे में बनाई गई है वादी द्वारा अपनी पत्रावली में कोई भी ऐसा शैक्षणिक दस्तावेजात या अन्य कोई दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड, आधार कार्ड , जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या किसी सरपंच द्वारा सजरा पेश किया गया हो जिससे साबित होता हो कि वादी हण्डू का पुत्र है परन्तु मात्र कह देने से ऐसा माना नहीं जा सकता। बाबूलाल ने एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित होता है कि बाबूलाल हण्डू का पुत्र है और न ही शपथ पत्र मौखिक साक्ष्य में कोई स्वतंत्र गवाह पेश किया जिसने बाबूलाल को हण्डू का पुत्र होना बताया हो चूंकि वाद बाबूलाल के द्वारा लाया गया है एवं इस वाद का मुख्य बिन्दु ही यही है। स्वयं वादी व वादिनी की पत्नी बसंती के कथन जिरह भी विरोधाभासी हैं। तथा अपने शपथ पत्र को जिरह से साबित नहीं कर पाए हैं कि प्रतिवादी ने जो गवाह पीडब्लू सुगडसिंह पेश किया है उसमें सुगडसिंह ने अपने शपथ पत्र तथा जिरह में बताया कि बाबूलाल हण्डू का पुत्र न होकर अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है और उम्मेद ने भी शपथ पत्र व जिरह में यह बताया है कि हण्डू की मृत्यु 60 वर्ष पूर्व हो गई थी। हण्डू के कोई लडका नहीं था इस प्रकार उक्त शपथ पत्र से साबित होता है कि बाबूलाल हण्डू का पुत्र न होकर छोटेलाल अजमेर का पुत्र है। इसलिए उक्त तनकीयात वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

8. आया वादी की कब्जा वापिसी की रिलीफ ना होने से दावा वादी काबिल खारिजी के है। :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादी द्वारा दावा अन्तर्गत 88, 89 आदेश के तहत दायर किया गया है तथा वादी

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

के दावा का अवलोकन करने से स्पष्ट साबित है कि वादी द्वारा अपने रिलीफ में दावा में कहीं पर भी कब्जा वापिसी की कोई रिलीफ नहीं चाही गई है और प्रतिवादी द्वारा अपने जबावदावा एवं गवाहन से यह साबित हो चुका है कि उक्त विवादित आराजीयात पर बयनामा से ही प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जेकाश्त की खातेदारी रही है। इसलिए बगैर कब्जावापिसी रिलीफ की दावा को डिक्री नहीं किया जा सकता अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में एवं वादी के खिलाफ तय की जाती है।

9. आया दावा वादी सिविल क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी का था। वादी द्वारा प्रतिवादी के नाम दर्ज खातेदारी जो मुताबिक वयनामा 12.08.81 एवं इंतकाल संख्या 45 व 54 से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है तथा मुताबिक दर्ज रिकॉर्ड काबिजकाश्त है इसलिए वयनामा को निरस्त कराए बिना वादी को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा वयनामा निरस्त करने का सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को है। अतः उक्त दावा न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक व वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

10. आयाप्रतिवादीगण, वादी से खर्चा 2000/– रूपए प्राप्त करने के अधिकारी है।–

उक्त तनकी के संबंध में यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण अपना हर्जा खर्चा स्वयं वहन करे।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी अपना वादपत्र सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः दावा वादी काबिल खारिजी के है। अतः वादी का वादपत्र सिद्ध न [illegible] कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

06/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

निर्णय आज दिनांक 06.05.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

06/5/24
(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner